

**KOLHAN UNIVERSITY**CHAIBASA, WEST SINGHBHUM
JHARKHAND, PIN-833204
CONTACT NO. - 06582 255274

Ref. No. KU/R/... 547 ... 180

Date ... 25/11/2020

अधिसूचना

उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची के पाठक DHE sec-5/AFFILIATION-COLLEGES-1/2020/HTESD-492 दिनांक 08.05.2020 एवं DHE sec-5/AFFILIATION-COLLEGES-1/2020/HTESD-986 दिनांक 16.09.2020 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अद्यतन स्टैट्यूट के प्रावधानों के आलोक में कठिना 2 व अंकित शर्तों के अधीन निम्न महाविद्यालयों को B.Ed पाठ्यक्रमों को सत्र 2020-22, 2021-23 & 2022-24 के लिए शालाधीन अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	अभिप्रेतित अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
1.	Madhusudan Mahto Teachers Training College, Chakradharpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
2.	Jamini Kant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
3.	Srinath College of Education, Adityapur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
4.	Karim City College, Jamshepur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
5.	Swami Vivekanand College of Education, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
6.	Jamini Kalyani Mahato College of Management, Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
7.	Loyola College of Education, Jamshepur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
8.	Institute for Education, Seraikella	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
9.	D.B.M.S. College of Education, Jamshepur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
10.	Rambha College of Education, Gitlata	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घीकरण
11.	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku Teachers Training Institute, Chandil	B.Ed	2020-22	इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि ससमय महाविद्यालय द्वारा NCTE से स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी अन्यथा संबन्धन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर निर्णय सिधे जाने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

शर्तें-

- महाविद्यालय, द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों एवं शर्तों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाएगा।
- महाविद्यालय, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मुंबई/राँची द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रिनियम में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- विभाग द्वारा महाविद्यालयों का कमी मी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार अनियमितता पाये जाने या NCTE/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी।
- महाविद्यालयों को 02 वर्ष के अन्दर NAAC Accrediation कराना आवश्यक होगा।

आपका प्रतिनिधि: KU/R/547/2020

- प्राचार्य संबन्धित महाविद्यालय।
- कुलपति / प्रतिकुलपति को सहायक को उनके सूचनाथे।
- परीक्षा नियंत्रक / उपा कुलसचिव को सूचनाथे एवं कार्याथे।
- सचिका में।

कुलपति के आदेशानुसार
ह0/-
कुलसचिव
कोल्लान विश्वविद्यालय, चाईबासा
दिनांक 25/11/2020

कुलसचिव
कोल्लान विश्वविद्यालय, चाईबासा।



Ref. No. RMR/2...743...117

Date ...10.05.2017

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक 5/वि. 1-79/2014-1340, राँची दिनांक 09-05-2017 के आलोक में पाठ्यक्रम सत्र 2017-19, 2018-20 एवं 2019-21 के लिए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम अद्यतन सशोधित की धारा 4(19) के अधीन निम्नांकित बी० एड० महाविद्यालयों के अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रस्ताव पर निम्न संबंधन अवधि के लिए वर्गित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/ दिनांक
1	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku TTC, Lupungdih, Chandil	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32369 दि०-29.05.2015
2	Madhusudan Mahto TTC, Chakradharpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-31750 दि०-20.05.2015
3	Jaminikant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32505 दि०-30.05.2015
4	Srinath College of Education, Adityapur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-45854 दि०-02.05.2016
5	Karim City College, Jamshedpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-35161 दि०-21.08.2015
6	Swami Vivekanand College of Education, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32330 दि०-28.05.2015
7	Jamini Kalyani Mahto College of Management, Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-46157 दि०-02.05.2016
8	Netaji Subhash Institute of Education, Salboni	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32345 दि०-29.05.2015
9	Loyola College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32698 दि०-31.05.2015
10	Institute for Education, Seraikella-Kharsawan	B.Ed	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	पत्रांक-32079 दि०-25.05.2015

महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या— WP(C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कड़िका-71 में अंकित निम्न निदेशों का अनुपालन संबंधित महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

- छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- परीक्षा का संचालन,
- विहित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया,

(iv) एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन।

(ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन।

(ग) AISHE portal पर data का upload.

(ग) IQAC का गठन।

कुलपति के आदेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

दिनांक 10.5.2017

पत्रांक KV/R/743/17

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची।
2. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
3. कुलपति/प्रति कुलपति/कुलसचिव के सहायकों को उनके सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक /सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
4. संचिका में।

10.5.2017

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।



KOLHAN UNIVERSITY

CHAIBASA, WEST SINGHBHUM

JHARKHAND, PIN-833201

CONTACT NO. - 06582-255274

Ref. No. 2712/819/117

Date 30.5.2017

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 5/स 1-98/2016-1550, राँची दिनांक 30-05-2017 के आलोक में पाठ्यक्रम सत्र 2017-19, 2018-20, 2019-21 के लिए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम अद्यतन संशोधित की धारा 4(19) के अधीन श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर को 50 सीट (01 युनिट) **Additional intake** संबंधी प्रस्ताव पर निम्न वर्णित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	Approved Unit	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/दिनांक
1	श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर, जमशेदपुर	बी०एड०	2017-19, 2018-20 एवं 2019-21	Additional intake of 50 students (01 Unit)	पत्रांक-52949 दिनांक-02.05.2017

शर्तें- महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि,

(क) माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या-WP(C)No. 276/2012 में पारित नयायादेश की कडिका - 71 में अंकित निम्न निर्देशों का अनुपालन हो।

- (i) छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- (ii) परीक्षा का संचालन,
- (iii) लिखित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया,
- (iv) एन०सी०टी०ई० द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन।

(ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये कर्मियों/बुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन ससमय करेंगे।

- (i) AISHE portal पर data का upload.
- (ii) IQAC का गठन।

महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों का पूरी तरह अनुपालन अधिसूचना पत्र निर्गत होने से 01 एक माह के भीतर किया जाय अथवा नामांकन पूर्व उद्धृत शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन कडिकावार विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।

कुलपति के आदेशानुसार

ह०/-

कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा ।

दिनांक 30.5.2017

पत्रांक 2712/819/117

प्रतिलिपि:-

- 1 प्राचार्य, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदित्यपुर, जमशेदपुर के सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
- 2 कुलपति/प्रतिकुलपति के सहायकों को उनके सूचनार्थ।
- 3 परीक्षा नियंत्रक /सहायक कुलसचिव के सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
- 4 संचिका में।

30.5.2017
कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा